लघु उद्योगों के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था

685. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को समयबद्ध ढंग से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाई है ;

(ख) इस क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र के लिए विपणन विकास कोष की स्थापना हेतु कोई व्यवस्था की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 लाख रुपये तक की कुल कार्यशील पूंजी ऋण सीमा राशि वाली लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए उनकी अनुमानित वार्षिक कारोबार के कम से कम 20 प्रतिशत के हिसाब से लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी सीमा का प्रावधान करने हेतु बैंकों को 1993 में सलाह दी थी। अक्तूबर, 1993 में यह सीमा बढ़ाकर 1 करोड रुपया कर दी गई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने प्रारंभ से ही एकल खिड़की योजना शुरू की है जिसके तहत उसके द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों के लिए संयुक्त सहायता और कार्यशील पूंजी को लघु औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए उसी एजेंसी द्वारा बढ़ा दिया गया है। उक्त योजना एस०एफ० मी०, एस०आई०सी०सी० तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। उक्त योजना के कार्यक्षेत्र को समय-समय पर व्यापक बनाया जाता है। वर्तमान योजना के तहत, जिसे मार्च, 1994 में संशोधित किया गया है, लघु क्षेत्र में कुल 50 लाख रुपये परियोजना लागत वाली इकाइयां एकल खिड़की योजना (एस०डब्ल्यू०एस०) में शामिल की जा सकती हैं। (पहले यह राशि 30 लाख रुपये थी जिसमें परियोजना लागत 20 लाख रुपये और अपेक्षित कार्यशील पूंजी 10 लाख रुपये तक थी)

भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए विभिन्न पहलुओं पर वाणिज्यिक बैंकों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। ऋण के वितरण में देरी न हो ऐसा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को आवेदनों के निपटान की समय सीमा का पालन करने हेतु आदेश जारी किये गये हैं। जबकि 25000 रु० तक की ऋण राशि के आवेदनों का निपटान एक पखवाड़े के भीतर होने चाहिए, किन्तु 25000 रु० से अधिक ऋण के आवेदनों का निपटान आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से 8 से 9 सप्ताह के भीतर किया जाये। सीमा में वृद्धि के आवेदनो पर शीघ्रता से विचार किया जाए और उन पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए जो किसी भी स्थिति मे 6 सप्ताह से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

(ग) लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए कोई अलग से विपणन विकास निधि नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय ने पहले ही विपणन विकास सहायता पर एक ऐसी योजना चलाई हुई है जो उक्त योजना के तहत लघु औद्योगिक इकाइयों को समान लाभ प्रदान करता है।

Indigenous manufacture of 150 MW gas turbine by BHEL

686. SHRI K. M. KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the country's first highest capacity gas turbine of 150 megawatt ISO rating has been manufactured indigenously by BHEL;

(b) if so, the special features of this achievement with the estimated cost;

(c) whether this highest capacity gas turbine has been made available to some foreign country;

(d) if so, the details thereof with terms and conditions;